नशे के खतरनाक जाल को कैसे काटे

राहुल महाजन के पिछले साल ड्रग्स में लिप्त होने के बाद से पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई काफी तेज कर दी है। हाल के दिनों में उसे ड्रग्स के कई बड़े खेप पकड़ने में काफी सफलता भी मिली है। इससे पता चलता है कि नशा का यह नेटवर्क कितना अधिक फैल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह सरकार नशे के कारोबार पर सचमुच रोक लगा पाएगी? क्या सरकार ने नशा नियंत्रण कानून बनाते समय कुछ अनुमान लगाया है कि इस कानून के सहारे सरकार कितने सालों में ड्रग्स के कारोबार पर काबू पा लेगी? या फिर कानून अपनी जगह रहेगा और नशा का कारोबार भी अपनी जगह चलता रहेगा? दिन-प्रतिदिन बरामद ड्रग्स की मात्रा बढ़ते जाने से यही पता चलता है कि सरकार ड्रग्स के कारोबार पर रोक तो क्या नियंत्रण लगाने में भी असफल रही है। आखिर सरकार क्यों सफल नहीं हो पा रही है? और कैसे हो सकता है ड्रग्स का प्रभावी नियंत्रण?

वस्तुत: भारत ही नहीं दुनिया भर में ड्रग्स नियंत्रण की सरकार की नीति के कारण ड्रग्स का धंधा छुप कर चलाया जाने लगा है। धंधे के छुपे होने के कारण समाज को पता नहीं चल पाता है कि समाज में कहाँ, और कौन लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं। अनभिज्ञता के कारण समाज इन लोगों से सावधान नहीं हो पाता है। नतीजा हमारे घर का बच्चा कब नशे के दलदल में फँस गया, इसका पता काफी समय तक परिवार के लोगों को नहीं चला पाता। किसी बड़े हादसे के बाद ही राज खुलता है। और तब तक नशे के सौदागर बोरिया-बिस्तर समेट कर कहीं रफू चक्कर हो चुके होते हैं। समाज में दूसरी और भी कई ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं है। जैसे वेश्यालय। देश में लगभग सभी छोटे-बड़े शहर-कस्बों और गाँवों में वेश्यालय चल रहे हैं और ये समाज की नजरों के सामने हैं। कहना न होगा कि स्त्री सुख नौजवानों को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता भी है। शायद ड्रग्स से ज्यादा। पर चूँकि यह समाज के सामने है, इसलिए समाज में एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित हो गयी है जो युवकों को वेश्यागमन से रोकती है। इसलिए वेश्यालय का पता जानते हुए भी समाज का अधिकतर युवक वेश्यागामी नहीं है। इसे लेकर समाज सहज रूप से सावधान है। पर चूँकि ड्रग्स का धंधा छुपा हुआ है, इसलिए समाज इसे लेकर सावधान नहीं। नतीजा युवक आसानी से गुमराह हो जाते हैं। और इसके लिए वह नीति जिम्मेदार है, जिसके कारण ड्रग्स एक अंडरग्राउंड धंधा बना हुआ है।

मुश्किल ये है कि भली मंशा से बनाए कानूनों को लागू करने वाले अधिकारी अक्सर उतने भले नहीं होते। उनको कुछ भी रोकने का कानूनी अधिकार मिलने का अर्थ है, रिश्वत वसूलने का एक नया बहाना। कानून अगर सख्त हो, तो रिश्वत की रेट थोड़ी और ऊँची भी हो जाती है। और जब पुलिस तथा अधिकारियों को रिश्वत मिलने लगे, तो बजाए धंधा रोकने के, वे उसे छुपे तौर पर चलाने में मददगार बन जाते हैं। ताकि रिश्वत भी आती रहे और समाज में कोई असंतोष भी न फैले। इस प्रकार जाने-अनजाने सरकारी महकमा नशे के इन सौदागरों का संरक्षक ही बन जाता है। मामले के अधिक तुल पकड़ने पर एक दो खेप पकड़ ली जाती हैं, फिर थोड़े दिनों बाद सबकुछ पूर्ववत शुरू हो जाता है।

दूसरी ओर नशीले पदार्थों पर रोक अपेक्षाकृत अधिक तेज नशीले पदार्थों के लिए बाजार का रास्ता तैयार करती है। गाँजा का उदाहरण लीजिए। गाँजा पर भी रोक है। पर गाँजा की कीमत कम है और यह अधिक जगह लेती है। इसलिए गाँजा के कारोबार में पकड़ में आने की संभावना अधिक हो जाती है। नतीजतन व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों का ध्यान अधिक तीव्र ड्रग्स या नशे की ओर चला जाता है। ये तेज नशीले पदार्थ कम स्थान घेरते हैं और थोड़े में ही अधिक नशा देते हैं। अर्थात् कम चुनौती झेल कर अधिक नशे का सौदा हो जाता है। नशेड़ियों के लिए भी तेज नशा देने वाला ड्रग्स का छोटा पुड़िया लाना-ले जाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसलिए पहले जैसा नशा कम मेहनत और कम झंझट में हो जाता है।

अमेरिका में ड्रग्स नियंत्रण के लिए न सिर्फ कड़े कानून हैं, बल्कि उनका कठोर पालन भी होता है। वहाँ परिणाम उलटा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ ड्रग्स का सर्वाधिक प्रकोप है। यही कारण है कि अमेरिका में बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएँ गांजा पर से रोक हटाने की मांग कर रही हैं। उनका सोचना है कि गांजा को वैध कर वे अपेक्षाकृत अधिक कड़े और मारक ड्रग्स के प्रयोग को हतोत्साहित कर देंगे।गुजरात सरकार ने शराब की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पर क्या राज्य में शराब की बिक्री रुक गयी? बिल्कुल नहीं इस पाबंदी का असर सिर्फ यह हुआ है कि इसने बीयर को बाजार से बाहर कर दिया। क्योंकि चार बोतल बीयर से जितना नशा होता, उतने के लिए एक बोतल शराब ही काफी है। और पाबंदी के इस युग में किसी के लिए भी एक बोतल शराब छुपा कर लाना चार बोतल बीयर लाने की अपेक्षा आसान है। इसलिए गुजरात सरकार की पाबंदी ने वस्तुत: तेज और तगड़े शराबों के लिए बाजार बना दिया है।

दिलचस्प तो यह है कि ड्रग्स माफिया भी यही चाहते हैं कि ड्रग्स पर प्रतिबंध बना रहे। वे इसलिए ऐसा चाहते हैं कि ड्रग्स के धंधे में प्रतिबंध से मार्जिन बढ़ता है। कम माल और मेहनत में ही अधिक मुनाफा मिल जाता है। पुलिस और भ्रष्ट (अधिकांश) अधिकारी इसलिए प्रतिबंध चाहते हैं कि उन्हें वेतन के अलावा भी कमीशन और रिश्वत के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी होती रहे।

ड्रग्स पर रोक की सरकारी मंशा तो भली है। पर यहाँ सिर्फ मंशा ही भली है। बाकी कुछ भी भला नहीं। सरकार ही नहीं ड्रग्स विरोधी जनता को भी यह बात साहस के साथ स्वीकारनी होगी कि सिर्फ अवैध घोषित कर देने से कोई भी चीज बंद नहीं हो जाती है। शुतुरमुर्ग की तरह धंधे को अवैध करके बैठ जाने की अपेक्षा कुछ विवेक और बुद्धिमत्ता युक्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार किसी तरह ड्रग्स के धंधे को समाज की नजरों के सामने लाने में सफल हो जाए, तो ड्रग्स नियंत्रण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मूल मकसद यह है कि 'युवा पीढ़ी को ड्रग्स की गिरफ्त में आने से रोका जाए।' लेकिन सरकारी रेगुलेशन से यह संभव नहीं होगा। उलटे यह समाज से छुपाकर ड्रग्स के सुरक्षित कारोबार का मार्ग प्रशस्त करता है। ड्रग्स का हल खुद समाज है। मुंबई के गोरेगाँव में अवैध देह व्यापार के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा की गयी कार्रवाई इसी सत्य की ओर इशारा करती है। आवश्यकता यह है कि ड्रग्स के धंधे से इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर सरकार वही पैसा ड्रग्स विरोधी जागरूकता अभियान पर खर्च करे। ठीक एड्स जागरूकता अभियान की भांति। अर्थात् एक ऐसी नीति, जिसमें यह धंधा छुपने की बजाए समाज की नजरों के सामने आए। नजर में आते ही सामाजिक चेतना खुद को इससे लड़ने के लिए तैयार कर लेगी। ■